भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2904

10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषिगत इनपुट सहायता

2904. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संतरे, किन्नू जैसी बागवानी फसलों और जीरा, इसबगोल जैसी नकदी फसलों की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक है, लेकिन इसकी तुलना में कृषिगत इनपुट सहायता बहुत कम है;

(ख) क्या भारत सरकार को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से ऐसी फसलों के इनपुट (सहायता) बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एसडीआरएफ के नियमों में संशोधन करके संतरा, किन्नू जैसी बागवानी फसलों और जीरा, इसबगोल जैसी नकदी फसलों के नष्ट होने की स्थिति में कृषिगत इनपुट अनुदान की सीमा को 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर न्यूनतम 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में इन नियमों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख): संतरा, किन्नू जैसी बागवानी फसलों और जीरा तथा इसबगोल जैसी नकदी फसलों की खेती की लागत, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, उर्वरक, सिंचाई प्रणाली और फसलोपरान्त इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता के कारण यह खेती इनपुट तथा श्रम-प्रधान मानी जाती है। विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से प्राप्त अनुरोधों और बागवानी क्षेत्र में विभिन्न इनपुट और सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के परिचालन दिशानिर्देशों को 2025 में संशोधित किया गया था। उक्त संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत, बागवानी क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के उपयोग के साथ-साथ विभिन्न बागवानी फसलों के लागत मानदंडों में वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई सहायता का तुलनात्मक विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) एवं (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध कोष से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। "गंभीर प्रकृति" की प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में एसडीआरएफ के अलावा राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है और राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार इसे मंजूरी दी जाती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता मुआवजे के रूप में नहीं होकर राहत के रूप में होती है। विस्तृत मद और मानदंड गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग की वेबसाइट ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

अनुलग्नक

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत संतरा, किन्नू, जीरा और इसबगोल की खेती के लिए सहायता से संबंधित पुराने और नए दिशानिर्देशों की तुलनात्मक तालिका:

फसल/ एमआईडीएच के अंतर्गत श्रेणी	**पुराने दिशानिर्देश (2014)**	**नए/संशोधित दिशानिर्देश (2025)**
नींबू वर्गीय फल जिसमें संतरा और किन्नू शामिल हैं	उच्च घनत्व के अंतर्गत, बाग स्थापना के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली के एकीकरण के बिना लागत मानदंड 1.00 लाख रूपये/हेक्टेयर तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ ₹1.50 लाख रूपये/हेक्टेयर है। प्रदान की जाने वाली सब्सिडी सामान्य क्षेत्रों में 40% तथा पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों में 50% है। अधिकतम क्षेत्रफल: 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी।	बाग स्थापना (ड्रिप सिंचाई के बिना) और नियमित अंतराल के लिए उच्च लागत मानदंड 1.25 लाख रूपये/हेक्टेयर है। उच्च घनत्व के लिए समर्थन 2.00 लाख रूपये/हेक्टेयर तथा अति-उच्च घनत्व के लिए 3.00 लाख रूपये/हेक्टेयर समान सब्सिडी पैटर्न (40%-50%) के साथ है।
बीज मसाले जिसमें जीरा शामिल हैं	सामान्य लागत मानदंड: 30,000 रूपये प्रति हेक्टेयर, सामान्य क्षेत्रों में 40% और पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों में 50% की सब्सिडी के साथ। अधिकतम क्षेत्रफल: 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी।	उन्नत बीज, आईएनएम, आईपीएम और वैज्ञानिक खेती पद्धतियों के लिए लागत मानदंडों को बढ़ाकर 50,000 रूपये/हेक्टेयर कर दिया गया है।
औषधीय और सुगंधित पौधे इसबगोल सहित	पहले के दिशानिर्देशों में औषधीय पौधों को शामिल नहीं किया गया था।	गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, खेती और मूल्य-श्रृंखला विकास के समर्थन के लिए क्षेत्र के आधार पर 40-50% की सब्सिडी के साथ लागत मानक 1.50 लाख रूपये/हेक्टेयर है।

******